

मन्त्रीदेवी क्लब मन्गोहरा जिला

24/9/21 पत्रावली में 1912 का वकील उमप पत्र उपा वकील उमप
 पत्र की बहस सुनी गई। प्रकरण मकीप
 नामांकन का संव 1911/25 दिनांक 6-10-1977
 के संक्षिप्त में तब से उपा से है कि पत्रावली
 की जा. सं. सं. 254, 258, 309, 310, 311, कुल
 क्रि. 5 उपा सं. सं. 20 वीणा 12 वीणा 1 वीणा
 वकील ग्राम किशोरपुरा व भाग्यी सं. सं. 120
 134 उपा क्रि. 2 कुल सं. सं. 1 वीणा 10 वीणा
 वीणा वकील ग्राम किशोरपुरा की स्वतंत्रता की
 थी है। जो पूर्व में वकील ग्राम की स्वतंत्रता की
 थी। जो भूखंड बनफकिशोर की मूल्य परमाणु
 रूपो डेन्स के प्रबंध रासजीलाल को कन्त क प्र
 वनाकट स्वतंत्रता का नामान्तरण खोल दिना
 व रासजीलाल के नाम कासपी जिला श्री किशोर
 के दि V2 हिस्से का नामान्तरण खोल दिना
 इलउकाट रासजीलाल 2 स्वतंत्रता का कासपी
 वनाकट अपने नाम निपस विद्वान नामान्तरण
 खुलवा लिया जिससे वकील कोक पत्र
 अर्थात् अंपीलर में कि नामान्तरण आदेश
 दिनांक 06-10-1977 ग्राम पत्रावली किशोरपुरा
 विद्वान विद्वान होने के कारण निरस्त योग्य है।
 वकील किशोर ने कभी भी रासजीलाल को मोद नहीं
 लिया ना ही किसी तरह की लिखा पदी की वकील
 ग्राम पत्रावली ने सबमानी पूर्ण आदेश के कन्त क
 पत्र वनाकट कानून विद्वान का नामान्तरण खोल
 दिया जो निरस्त योग्य है। कानूनी शक का नामान्तरण
 विद्वान विद्वान आदेश को प्रतीति देने के लिए समझ
 की परीक्षा का प्रश्न आदि नहीं आता लेकिन
 पिछली देना माफ करने के लिए पत्रा-5
 लिमिटेड के तहत प्रार्थना पत्र मप प्रपत्र पर

उपसचिव अधिकारी
 लालसोट जिला दौरा (राज)

न्यायालय उपजिला कलेक्टर लालसोट (दोसा)

किसम मुकदमा (फॉर्म अहकाम (नियम 26) फॉर्म 111 :

माननी जज (महोदय)

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
पुस्तक की तारीख
में जारी हुए

तारीख मुकद

मुकदमा का कार्यवाही का इतिहास

महोदय मैंने देखा कि (नाम) 19/12/55 को निरस्त कर नसीबदार लालसोट को उन दिनों बताया कि मृतक नदीशोर के वारिसान की जाय का मामला नसीबदार कार्रवाई करावे। हमने पत्रावली पत्रावली का अब लोकर किया रवील उमर रजा का पत्र भी बहल पर गौ व मरत किया एवं पत्रावली का डाय प्रस्तुत कराया गेयो. लालसोट का भी अब लोकर किया गेयो. लालसोट को अपने लोकर से अपील अपील करीता करे से कोई अपील नही की है।

अतः अपील अपील

पत्रावली की महकाम के अन्तर्गत पर नसीबदार रूप से करीता कर पूर्व में करीता गया इस प्रयाप निशोर पुत्र दादा नामाकर रजा दिनांक 6/10/57 को निरस्त किया गया है नसीबदार लालसोट से अपील इस अन्तर्गत है रिमाण्ड भी जाती है कि मृतक नदीशोर के वारिसान की विधिक रूप से जाय का मामला नसीबदार प्रस्तुत करे। इस आशय की नसीबदार लालसोट को नसीबदार जारी है। पत्रावली रूप में नसीबदार दायित्व करत हो।

उपरखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दोसा (राज)